Trial No.-4720/2026

<table>
<tr>
<td>दिनांक
10.03.2026</td>
<td>विचारण के सभी चार अभियुक्तगण क्रमशः 01. अरूण कुमार, उम्र–44 वर्ष 02. गुलाब राय, उम्र 36 वर्ष 03. गौरी राय, उम्र 46 वर्ष 04. शीला कुमारी उर्फ खुशबु, उम्र 20 वर्ष की हाजरी अधिकार पत्र के साथ पूर्व के जमानत पर रहने हेतु एक आवेदन दिया गया। वाद पुकारा गया। वाद प्रस्तुत किया गया। सुना। उक्त चारो अभियुक्तों को पूर्व के जमानत पर रहने की अनुमति दी जाती है। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि उक्त अभियुक्त के विरूद्ध भा.द.वि की धारा–302, 201 एवं 120B के अंतर्गत <u>संज्ञान</u> लिया गया है, जो कि विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

अतएव द.प्र.स. की धारा–209 के अंतर्गत वाद को दौरा सुपुर्द किया जाता है।

कार्यालय अभिलेख को प्रधान विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीतामढ़ी के न्यायालय में प्राप्त करावें एवं अधिसूचना निर्गत करें। अधिसूचना की प्रति अभियोजन पदाधिकारी को भी दें।

दिनांक–05.05.2026 अभियुक्तगण का सत्र न्यायालय में उपस्थिति हेतु।

लेखापित

अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी,
पुपरी, सीतामढ़ी।</td>
</tr>
</table>